

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:- ग्रा. से.शि / 2025 / 37

प्रकरण सं:- 270/2025
दिनांक:- 21/10/25

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्री लिया जी राजव मू.अ.
नि. र(3) की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तालवागिरी
तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 37
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>तालवागिरी</u> <u>दरवा</u>	<u>37</u> <u>31</u>	<u>115, 116</u> <u>132</u>	<u>जाकु पुत्री</u> <u>मुतलब</u>	<u>जाकु खां</u> <u>पुत्र</u> <u>मुतलब</u>

समदरसिंह भाटी
(समदरसिंह भाटी)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी

दिनांक:- 21/10/25

क्रमांक:- सम. / 2025 / 374-376
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
2. प्रार्थी जाकु खां-56 मुतलब तालवागिरी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

समदरसिंह भाटी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी